जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात/ कार्यालय द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा शाखा जनपद संतकबीरनगर में शहीद अग्निशमन कर्मियो को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी व जन जागरूकता रैली निकालकर अग्निशमन सेवा सप्ताह का आरम्भ किया गया

श्रीमान महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात/ कार्यालय ***श्री केशवनाथ*** द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा शाखा जनपद संत कबीर नगर में शहीद अग्निशमन कर्मियो को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी, पिन-फ्लैग लगाया गया, वक्तव्य पढ़कर सुनाया गया तथा अग्नि सुरक्षा में जागरूकता अभियान के अंतर्गत अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह दिनांक 14.04.2024 से 20.04.2024 तक मनाया जायेगा, जिसके अंतर्गत अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जनता को आग बुझाने के उपकरण व आग बुझाने के बारे में जागरुक किया जायेगा।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 04 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में चलाये जा रहे *'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)* के तहत आज दिनांक 14.04.2024 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर **थानाध्यक्ष पूनम मौर्या एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी** के अध्यक्षता में **04** मामले आये। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1.**प्रथम पक्ष –** रेखा पत्नी प्रमोद निवासी ग्राम – हरपुर बुदहट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर व **द्वितीय पक्ष –** प्रमोद पुत्र खदेरू निवासी ग्राम खैरवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।
2.**प्रथम पक्ष –** जमीरून्निशा पत्नी रमजान निवासी ग्राम – सिरसी टोला पूरब बाग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** रमजान अली पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम – सिरसी टोला पूरब बाग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।
3.**प्रथम पक्ष –** रीता गुप्ता पत्नी बृजमोहन निवासी ग्राम – बकौली कला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** बृजमोहन गुप्ता पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम – घुनघन कोठा (मंझरिया) थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।
4.**प्रथम पक्ष –** शान्ति देवी पत्नी कृष्णा निवासी ग्राम – सेखुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** कृष्णा पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम – सेखुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 14.04.2024

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 108 वाहनों से 98,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 108 वाहनों से 98,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 14.04.2024

थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त गोरख निषाद पुत्र रेनई निषाद निवासी कुसौना खुर्द थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को ग्राम जब्बार के पास से 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- गोरख निषाद पुत्र रेनई निषाद निवासी कुसौना खुर्द थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 98/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 650 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अवधेश कुमार सिंह, हे0का0 मैनेजर प्रसाद, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, का0 अनुराग कुमार सिंह।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 14.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधि0 के तहत 03 अभियुक्ता व 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान 03 अभियुक्ता नाम पता 1- आशा सिंह उर्फ दुर्गावती पत्नी नर्वदेश्वर निवासी पथरदेवा थाना तरकुलवा जनपद देवरिया 2- अंजली यादव पत्नी राजेश यादव निवासी फूलसराय खैरुद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ 3- बेबी पत्नी दिलीप निवासी बभनान भटहा जंगल थाना गौर जनपद बस्ती व 02 अभियुक्त नाम पता 1- रिंकू गुप्ता पुत्र लालजी गुप्ता निवासी गढ़गोरिया थाना कोतवाली बस्ती जनपद बस्ती 2- श्याम प्रकाश चौरसिया पुत्र बाबूलाल चौरसिया निवासी बेलवाडारी थाना कोतवाली बस्ती जनपद बस्ती को इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प काँटे के पास स्थित ढाबे से संदिग्ध अवस्था में 08 पैकेट कण्डोम, 02 अदद एण्ड्रायड फोन व 1700 रु0 नकद के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- आशा सिंह उर्फ दुर्गावती पत्नी नर्वदेश्वर निवासी पथरदेवा थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।
2-अंजली यादव पत्नी राजेश यादव निवासी फूलसराय खैरुद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।
3-बेबी पत्नी दिलीप निवासी बभनान भटहा जंगल थाना गौर जनपद बस्ती।
4- रिंकू गुप्ता पुत्र लालजी गुप्ता निवासी गढ़गोरिया थाना कोतवाली बस्ती जनपद बस्ती।
5- श्याम प्रकाश चौरसिया पुत्र बाबूलाल चौरसिया निवासी बेलवाडारी थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 311/2024 धारा 3/4/5/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956(सिट अधिनियम पुननिर्मित) थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 08 पैकेट कण्डोम, 02 अदद एण्ड्रायड फोन व 1700 रु0 नकद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामकृपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक ए0एच0टी0यू0 श्री छोटेलाल, प्रभारी महिला थाना उ0नि0 पूनम मौर्या, उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 दीनानाथ राजभर, हे0का0 राकेश कुमार गौड़, का0 दिलीप गौड़, का0 अनूप यादव, का0 कृष्णानन्द शाह, म0का0 दुर्गावती खरवार, म0का0 पूजा जायसवाल, म0का0 अंजूलता।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.04.2024

मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं / बालिकाओं को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक

मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत भारत संकल्प यात्रा की ब्लॉकवार व ग्रामवार कार्यक्रम कर संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक

समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

उत्तर प्रदेश शासन** द्वारा **महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.04.2024

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 18 गत्ते में 788 नग (कुल 157.6 ली0) बंटी बबली टेट्रा पैक अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों नाम पता 1- इंद्रजीत पुत्र मेवालाल निवासी भुजैनी, कांटे थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व 2- जितेंद्र भारती पुत्र रघुनाथ भारती निवासी दुबौलिया बाजार थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को18 गत्ते में 788 नग (प्रति नग 200मिली, कुल 157.6 ली0) बंटी बबली टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 313/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री पवन कुमार, हे0का0 गणेश प्रसाद, का0 अरविंद तिवारी, का0 रंजन राजभर, का0 संजीव यादव।